प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 184/2023

अनवान : –

1. अवतार सिंह पुत्र रघवीर सिंह जाति जटसिख निवासी लहरी जिला भटिण्ड (पंजाब)

–वादी

बनाम्

1. रघुवीर सिंह उर्फ रूघवीर सिंह पुत्र चरणसिंह जाति जटसिख निवासी लहरी हाल जसाना तहसील नोहर।
2. रणजीत कौर पुत्री रघुवीर सिंह पत्नी परमीन्दरसिंह जाति जटसिख निवासी फकरसर तहसील गिदड़बाह।
3. हरजीत कौर पुत्री रघुवीर सिंह पत्नी गुरप्रीत सिंह जाति जटसिख निवासी सनसीटी सैक्ट न0 35 ए रोहतक (हरियाणा)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 05.05.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 16 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 85/84 की कुल 3.1620 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा व खाता स0 101/85 की कुल 2.9100 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त कृषि भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है यानि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। वादी अपना हक हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रतिवादी स0 1 जो की वादी का पिता है वयोवृद्ध व्यक्ति है इसलिए उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्र के पक्ष में परित्याग कर चुका है प्रतिवादीया स0 2 ता 3 जो की वादी की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा वादी के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि पर वादी अकेला काबिज है। जिसे न्यायालय से घोषणा करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यही बिना दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:08:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो मुझे कोई एतराज नही है। प्रतिवादी स0 2 व 3 की तरफ से अधिवक्ता श्री सुबोध शर्मा ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की विवादित भूमि प्रतिवादी स0 1 यानि की अवतारसिंह पुत्र रघुवीर सिंह अकेले के नाम दर्ज की जाती है तो प्रतिवादी स0 2 व 3 को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 16 केएनएन सम्वत 2073–76 खाता स0 101 प्रदर्श–1, खाता स0 85 प्रदर्श–2, शपथ पत्र बाबत सदस्य प्रदर्श–3, वारिसानाम प्रदर्श–4, मुख्तायार नामा रणजीत कौर प्रदर्श–5, मुख्यतयार नामा हरजीत कौर प्रदर्श–6 आदि प्रदशिर्त करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

ख्पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया स0 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल/जवाब दावा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही रोही मौजा 16 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 85/84 की कुल 3.1620 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा व खाता स0 101/85 की कुल 2.9100 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया स0 2 ता 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:08:37 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] आदेश

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा 16 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 85/84 की कुल 3.1620 हैक्ट भूमि

में से 1/2 हिस्सा व खाता स0 101/85 की कुल 2.9100 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 5/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–22 एनटीआर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:08:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 184 / 2023
अनवान : –

1. अवतार सिंह पुत्र रघवीर सिंह जाति जटसिख निवासी लहरी जिला भटिण्ड (पंजाब)

–वादी

बनाम्

1. रघुवीर सिंह उर्फ रूघवीर सिंह पुत्र चरणसिंह जाति जटसिख निवासी लहरी हाल जसाना तहसील नोहर।
2. रणजीत कौर पुत्री रघुवीर सिंह पत्नी परमीन्दरसिंह जाति जटसिख निवासी फकरसर तहसील गिदड़बाह।
3. हरजीत कौर पुत्री रघुवीर सिंह पत्नी गुरप्रीत सिंह जाति जटसिख निवासी सनसीटी सैक्ट न0 35 ए रोहतक (हरियाणा)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 230 सन 2023 निर्णय दिनांक 05.05.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा 16 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 85/84 की कुल 3.1620 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा व खाता स0 101/85 की कुल 2.9100 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 5/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:08:37 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–22 एनटीआर